



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 614) पटना, शुक्रवार, 5 जून 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
15 अप्रैल 2015

सं0 टी0 आर0 यू0(दीर्घ योजना) 01/2015-1674—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम, 27) की धारा-26 की उप-धारा (2) के साथ पाठित बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 22 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निबंधित व्यवसायियों के वित्तीय वर्ष 2013-14 के व्यवसाय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु व्यवसायियों के चयन के लिए निम्नांकित मानदण्ड अपनाये गये हैं :-

1. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के ऋणात्मक व्यवसायियों की अंचलवार सूची में से **शीर्ष से अवरोही क्रम** में क्रमानुसार 5% व्यवसायियों का चयन :-

(i) पटना विशेष अंचल एवं पाटलिपुत्रा अंचल के वैसे ऋणात्मक व्यवसायी जिनके द्वारा रू0 25 (पच्चीस) लाख या उससे अधिक कर का भुगतान किया गया है।

(ii) पटना पश्चिमी, पटना मध्य, पटना उत्तरी, गाँधी मैदान, पटना दक्षिणी, कदमकुआँ, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, दानापुर, गया, मुजफ्फरपुर पूर्वी, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, दरभंगा, पुर्णियाँ, भागलपुर, सासाराम, समस्तीपुर एवं कटिहार अंचल के वैसे ऋणात्मक व्यवसायी जिनके द्वारा रू0 2(दो) लाख या उससे अधिक कर का भुगतान किया गया है।

(iii) कंडिका (i) एवं (ii) में वर्णित अंचलों को छोड़कर शेष अंचलों के वैसे ऋणात्मक व्यवसायी जिनके द्वारा रू0 1(एक) लाख या उससे अधिक कर का भुगतान किया गया है।

परन्तु, उक्त कंडिका (i) एवं (ii) में अंकित अंचलों के चयनित ऋणात्मक व्यवसायी जिनका सकल बिक्रय आगम रू0 1(एक) करोड़ से कम है तथा कंडिका (iii) के अंचलों के चयनित ऋणात्मक व्यवसायी जिनका सकल बिक्रय आगम रू0 50 (पचास) लाख से कम है का चयन नहीं किया गया है।

2. वैसे व्यवसायी जिनके द्वारा प्रपत्र E-I /E-II और प्रपत्र 'सी' के आधार पर केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम की धारा 3(b) एवं 6(2) के अन्तर्गत ट्रांजिट सेल का दावा किया गया है।

3. वैसे व्यवसायी जिनके द्वारा पिछले वर्ष रू0 2 (दो) लाख से अधिक का ट्रेड डिस्काउन्ट, बोनस, इनसेन्टिव, रिबेट, टर्नओवर डिस्काउन्ट, स्पेशल डिस्काउन्ट, आदि का दावा किया गया है।

4. वैसे व्यवसायी जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में अपनी वार्षिक विवरणी में आई0 टी0 सी0 अग्रेनीत की राशि रू0 5 (पाँच) लाख से अधिक दर्शायी गयी है।

5. वैसे कार्य संवेदक जिनका सकल बिक्रय आवर्त रू0 10 (दस) करोड़ या उससे अधिक है (सरकारी उपक्रमों को छोड़कर)।

6. वैसे व्यवसायी जिनके द्वारा बिक्री किये जाने वाले मालों के विनिर्माण के साथ-साथ उन्हीं मालों की ट्रेडिंग भी की जाती है।

परन्तु निम्नांकित श्रेणी के व्यवसायियों को वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु वैट अंकेक्षण से मुक्त रखा गया है :-

(i) धारा 15(1), 15(4) एवं 15(1A) के अधीन लघु करदाता योजना एवं समाहितीकरण के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने वाले व्यवसायी।

(ii) पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा व्यवसायी यथा पेट्रोल पम्प।

(iii) धारा 15(5)(b)(ii) के अधीन अधिकतम खुदरा मूल्य के वस्तुओं यथा, दवाई, खाद, उर्वरक एवं कीटनाशक इत्यादि से संबंधित खुदरा व्यवसायी।

(iv) देशी शराब, मसालेदार शराब एवं IMFL के खुदरा व्यवसायी।

(v) वैसे व्यवसायी जिन्होंने वर्ष 2012-13 में स्वीकृत कर के मद में रू0 1 (एक) करोड़ से अधिक का भुगतान किया है तथा वर्ष 2013-14 में गत वर्ष की तुलना में स्वीकृत कर के भुगतान में 30 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवि मित्रल,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 15th April 2015

No. T.R.U. (Dirgh.Yo.)-01/2015-1674—In exercise of the power conferred under sub-section (2) of Section 26 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 read with clause (b) of sub-rule (1) of Rule 22 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the Commissioner has decided to adopt following criteria for selection of dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005, for detailed audit of their business in respect of financial year 2013-14.

1. Five percent in descending order from the list of such dealers who have paid lesser amount of tax in the year 2013-14 in comparison with that of 2012-13,

(i) In case of Patliputra circle and Patna Special circle, such dealers who has paid tax amounting to Rs. 25.0 Lacs or more.

(ii) In case of Patna West, Patna Central, Patna North, Gandhi Maidan, Patna south, Kadam Kuan, Patna City East, Patna City West, Danapur, Gaya, Muzaffarpur East, Muzaffarpur West, Darbhanga, Purnea, Bhagalpur, Sasaram, Samastipur & Katihar circle, such dealers who have paid tax amounting to Rs. 2.0 Lacs or more.

(iii) In case of circles other those mentioned in para (i) and (ii) above, such dealers who have paid tax amounting to Rs 1.0 Lac or more,

but such dealers mentioned above under para no. (i) and (ii) whose Gross Turnover is less than Rs. One Crore and such dealers mentioned above in para no. (iii) whose Gross Turnover is less than Rupees 50.0 Lacs have not been selected.

2. Such dealers who have put forward a claim of transit sale as provided under section 3(b)/6(2) of the CST Act on the basis of Form E-I/ E-II and Form 'C'.

3. Such dealers who have put forward a claim of trade discount, bonus, incentive, rebate, turnover discount, special discount etc. in excess of Rs. 2.0 Lacs during the last year.

4. Such dealers who have shown Input Tax Credit Carried Forward in excess of Rs. 5.0 Lacs in their annual Return in respect of financial year 2013-14.

5. Such works contractors (excluding Government Undertakings) whose Gross Turnover is Rs. 10.0 Crores or more.

6. Such dealers who have been engaged in selling goods manufactured by them and have also been engaged simultaneously in trading of such goods.

But following categories of dealers have been exempted from selection for VAT Audit in respect of financial year 2013-14:-

- (1) Such dealers who have filed return under Section 15(1), 15(4) & 15(1A) under small taxpayer scheme and compounding scheme.
- (2) Retail dealers of petrol and Diesel such as Petrol Pump.
- (3) Retail dealers of MRP goods viz., Medicine, Fertilizer and Insecticides under section 15(5)(b)(ii).
- (4) Retail dealers of Country Liquor, Spiced Country Liquor and IMFL.
- (5) Such dealers who have paid admitted tax exceeding Rs. One Crore in respect of financial year 2012-13 and have registered 30% growth in payment of admitted Tax in respect of financial year 2013-14.

By order of the Governor of Bihar,
RAVI MITTAL,
Commissioner of Commercial Taxes-
cum-Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 614-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>